

सेवा में,

1. सचिव, भारत सरकार, भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग
2. सभी राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र के मुख्य सचिव।
3. सभी उच्च न्यायालयों के महा रजिस्ट्रार
4. सचिव, आईबीबीआई
5. रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि अपील अधिकरण।
6. सचिव, राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण।
7. सचिव, सीसीआई
8. सचिव, एनएफआरए
9. सचिव, भारतीय चार्टर्ड लेखाकार संस्थान (आईसीएआई), आईपी एस्टेट, नई दिल्ली-110002
10. सचिव, भारतीय लागत लेखाकार संस्थान (आईसीओएआई), सदर स्ट्रीट, कोलकाता
11. सचिव, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान (आईसीएसआई), इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

विषय: राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में न्यायिक सदस्य के 05 (पांच) पद और तकनीकी सदस्य के 05 (पांच) पदों को भरने के संबंध में - ऑनलाइन आवेदन मंगाए जाने हेतु

महोदय,

मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 408 के अधीन गठित राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी) में 10 मई, 2024 से 2024 में उत्पन्न होने वाली न्यायिक सदस्यों के 05 (पांच) और तकनीकी सदस्यों के 05 (पांच) पदों की रिक्तियों के लिए ऑनलाइन आवेदन (<https://aptrbmembermca.gov.in> पोर्टल पर उपलब्ध) मंगाए जाते हैं। रिक्तियों की संख्या अनिश्चित हैं और ये बिना किसी पूर्व सूचना के घटाई या बढ़ाई जा सकती हैं।

2. चयनित उम्मीदवारों को पहले से गठित एनसीएलटी न्यायपीठों या रिक्तियों/कार्य की अनिवार्यता की उपलब्धता के अनुसार संपूर्ण भारत में स्थानांतरण के दायित्व सहित चयनबद्ध रीति से देश के विभिन्न भागों में गठित किए जाने वाले एनसीएलटी न्यायपीठों पर कार्य करना अपेक्षित है।

3. **न्यायिक सदस्यों की अर्हताएं:** कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(2) के उपबंधों के अनुसार, कोई व्यक्ति न्यायिक सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र तब तक नहीं होगा, जब तक कि वह:-

- (क) उच्च न्यायालय का न्यायधीश हो या रहा हो, या
- (ख) कम से कम पांच वर्षों के लिए जिला न्यायधीश हो या रहा हो, या
- (ग) कम से कम दस वर्षों के लिए किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा हो।

स्पष्टीकरण: खंड (ग) के प्रयोजनार्थ, उस अवधि के गणना करते समय, जिसके दौरान एक व्यक्ति किसी न्यायालय में अधिवक्ता रहा है, में ऐसी कोई अवधि जिसके दौरान उस व्यक्ति द्वारा किसी न्यायिक कार्यालय में या किसी अधिकरण के किसी सदस्य के कार्यालय में कोई पद धारण करने या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन पद धारण करने की अवधि भी शामिल की जाएगी, जिसमें उस व्यक्ति के अधिवक्ता बनने के पश्चात् विशेष ज्ञान अर्जित करना अपेक्षित होगा।

तकनीकी सदस्य की अर्हताएं: कंपनी (संशोधन) अधिनियम, 2017 द्वारा यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 409(3) के उपबंधों के अनुसार, एक व्यक्ति न्यायिक सदस्य की नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक कि वह -

- (क) कम से कम 15 वर्षों के लिए भारतीय कारपोरेट विधि सेवा या भारतीय विधि सेवा का सदस्य न हो और भारत सरकार में सचिव या अपर सचिव के पद पर कार्य किया हो; या
- (ख) कम से कम 15 वर्षों के लिए चार्टर्ड लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ग) कम से कम 15 वर्षों के लिए लागत लेखाकार के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (घ) कम से कम 15 वर्षों के लिए कंपनी सचिव के रूप में व्यवसायरत हो या रहा हो; या
- (ङ) एक सक्षम, सत्यनिष्ठ और प्रतिष्ठित व्यक्ति हो और जिसके पास विशेष ज्ञान हो और औद्योगिक वित्त, औद्योगिक प्रबंधन, औद्योगिक पुनर्गठन, निवेश, लेखांकन में कम से कम 15 वर्षों का व्यवसायिक अनुभव रहा हो; या
- (च) वह व्यक्ति कम से कम पांच वर्षों के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (1947 का 14) के अधीन किसी श्रम न्यायालय, अधिकरण, राष्ट्रीय अधिकरण में पीठासीन अधिकारी हो या रहा हो।

4. एक ऐसी व्यक्ति सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा जिसने आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख को **50 (पचास) वर्ष की आयु [कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 413(2)]** पूरी कर ली हो।

5. **नियुक्ति के निबंधन:** सदस्य 7वें केंद्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतन स्तर-15 और इसके अतिरिक्त यथास्वीकृत भत्ते सहित वेतन प्राप्त करेंगे। कार्यरत या सेवानिवृत्त (सरकारी अधिकारी या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति, उपसभापति, पीठासीन अधिकारी, किसी अधिकरण, अपील अधिकरण या किसी प्राधिकरण का कोई सदस्य या उच्च न्यायालय का कोई न्यायधीश) आवेदकों, जो उच्चतर वेतनमान, जिसमें भारत सरकार का अपेक्ष वेतनमान भी शामिल है में कार्यरत हैं या थे, के लिए वेतन संरक्षण उपलब्ध है। राष्ट्रीय कंपनी विधि अधिकरण (सभापति और अन्य सदस्यों के वेतन और भत्ते और सेवा की अन्य निबंधन एवं शर्तें) नियम, 2015 द्वारा वेतनमान और अन्य सेवा शर्तों का नियंत्रण किया जाएगा। कारपोरेट कार्य मंत्रालय की वेबसाइट पर इन नियमों की प्रति उपलब्ध है। चयनित व्यक्ति, यदि पहले से ही सरकारी सेवा में हो तो वह, ऐसे कार्यालय में कार्य करते हुए एक वर्ष की अवधि तक अपने मूल संवर्ग या मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो में अपना दावा रख सकता है।

6. अधिकरण में एक सदस्य के रूप में शामिल होने के बाद, यदि कोई सदस्य किसी संगठन/पद में अन्य असाइनमेंट के लिए आवेदन करना चाहता है, तो सदस्य के एनसीएलटी के रूप में दो साल की सेवा पूरी करने के बाद ही उस असाइनमेंट को अग्रेषित करने के लिए उसके आवेदन पर विचार किया जा सकता है।

7. प्रत्येक सदस्य द्वारा उनके कार्यालय में प्रवेश करने की तारीख से पांच वर्षों की अवधि तक उस कार्यालय में पदधारण किया जाएगा, परंतु वह अन्य पांच वर्षों की अवधि के लिए पुनः नियुक्ति का भी पात्र होगा। यद्यपि इस नियुक्ति की अवधि पैंसठ वर्ष की अधिकतम आयु के अध्याधीन है।

8. चयनित व्यक्तियों द्वारा भर्ती से पूर्व चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध कराना अपेक्षित है।

9. न्यायालय/सरकारी सेवा/सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम/अन्य संगठनों में कार्य करने वाले व्यक्तियों के आवेदन ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तारीख के दस दिनों के भीतर उचित माध्यम से अग्रेषित किए जाएंगे। अग्रेषण प्राधिकारी (ऑनलाइन आवेदन के अनुलग्नक में दिए प्रारूप में) यह भी प्रमाणित करेंगे कि आवेदन में की गई प्रविष्टियों का अभिलेखों से सत्यापन किया गया है और उन्हें सही पाया गया है, और यह भी कि आवेदक के विरुद्ध किसी प्रकार के अनुशासनात्मक, सतर्कता कार्यवाहियां न तो लंबित हैं और न ही विचाराधीन है और यह कि पिछले दस वर्षों के दौरान उस अधिकारी पर किसी प्रकार के बड़ी या छोटी शास्तियां नहीं लगाई गई हैं। अग्रेषण प्राधिकारी आवेदकों के पिछले पांच वर्षों के अप-टू-डेट गोपनीय रिपोर्ट डोजियर संलग्न करेंगे।